



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 103]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 20, 2010/पौष 30, 1931

No. 103]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 20, 2010/PAUSA 30, 1931

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND
INFORMATION TECHNOLOGY

(सूचना प्रौद्योगिकी विभाग)

(Department of Information Technology)

अधिसूचना

NOTIFICATION

नई दिल्ली, 20 जनवरी, 2010

New Delhi, the 20th January, 2010

का. आ. 117(अ).— केन्द्रीय सरकार, सूचना प्रौद्योगिकी (सूचना को जनता की पहुँच के लिए अवरुद्ध करने की प्रक्रिया और रक्षोपाय) नियम, 2009 के नियम 3 के साथ पठित सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 69 क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, इलेक्ट्रानिक्स निकेतन, 6 केन्द्रीय सरकार कार्यालय काम्प्लेक्स, नई दिल्ली -110003 के साइबर विधि प्रभाग में समूह समन्वयक (जो केन्द्रीय सरकार के संयुक्त सचिव की पंक्ति से नीचे की पंक्ति का अधिकारी न हो) को उक्त नियमों के प्रयोजनों के लिए पदाभिहित अधिकारि के रूप में प्राधिकृत और पदाभिहित करती है।

S.0.117(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 69A of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000) read with rule 3 of the Information Technology (Procedure and Safeguards for Blocking for Access of Information by Public) Rules, 2009, the Central Government hereby authorises and designates the Group Coordinator (being an officer of the Central Government not below the rank of Joint Secretary), Cyberlaw Division in the Department of Information Technology, Ministry of Communications and Information Technology, Government of India, Electronics Niketan, 6, Central Government Offices Complex, New Delhi-110003, as the Designated Officer for the purposes of the said rules.

[सं. 1(5)/2009-सिएलएफरंडई]

[No. 1(5)/2009-CLF&E]
N. RAVI SHANKER, Jt. Secy.

एन. रवि शंकर, संयुक्त सचिव